

FROM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

प्रार्थी:-

बनाम

अप्रार्थीगण:-

धर्मसिंह


प्रार्थना पत्र संख्या:-

लालसिंह वगै.

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

जीसीएमएस नंबर:-

.....23/2026

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
8/5/26	<p>प्रार्थी/वादी का मूल वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम का पोषणीयता के आधार पर खारिज किए जाने से प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)</p>	